

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक:—एफ8(11)आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/गिरदावरी/2023/

जयपुर, दिनांक

अधिसूचना

राजस्थान एफेक्टिव एरियाज (सरपेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा खरीफ फसल सम्वत् 2080 (वर्ष 2023-24) में फसल खराबे की गई नियमित गिरदावरी की राज्य के समस्त जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निम्न तालिका में अंकित 02 जिलों के आगे लिखेनुसार कुल 238 गांवों में कृषकों की फसलों में बाढ़ से 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा होने के कारण उक्त गांवों को अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 05 से 10 तक के प्रावधान प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेंगे। साथ ही जिला श्रीगंगानगर, अनूपगढ व सिरोही के व्यक्तिगत कृषकों को कृषि आदान अनुदान भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है:—

क्र.सं.	जिला	तहसील	अभावग्रस्त ग्रामो की संख्या
1	जालोर	आहोर व भादराजून	131
2	नागौर	डेह व सांजू	107
कुल योग			238

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(भगवत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
6034730



Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.03.11 12:06:03 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, जिला प्रभारी मन्त्री राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
11. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
12. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
13. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
14. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
15. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
16. संम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर एवं पाली राज.।
17. जिला कलक्टर, जालोर, नागौर, श्रीगंगानगर, सिरोही एवं अनूपगढ़।
18. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय चौथा तल, बड़ौदा भवन, प्लाट नम्बर 13 ऐयरपोर्ट प्लाजा दुर्गापुरा, टॉक रोड़, जयपुर।
19. निदेशक जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
20. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
21. समस्त अधिकारी, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
22. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।
23. प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं डीएमआईएस पोर्टल खोलने हेतु।
24. प्रभारी, सामान्य शाखा, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
6034730

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.03.11 12:06:03 IST
Reason: Approved